वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 22.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, आज, न्यायाधीश, राष्ट्रीय सहारा,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

आज–दि0 22.12.2024

चार भवन निर्माण सील, अवैध प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर शनिवार को अभियंताओं की टीम ने जोन-४ में तीन स्थानों पर कारवाई करते हुए निर्माण कार्य को सिल कर दिया और पुलिस की अभिरक्षा में उन्हें सौंप दिया। भूमि स्वामी शिवशंकर पाण्डेय औढ़े, बच्छांव वार्ड नगवां में बिना मानचित्र स्वीकृत किये भवन निर्माण कार्य करा रहे थे। इसी प्रकार सहवाबाद पंडितपुर वार्ड-नगवा में भूमि स्वामी सुरेंद्र कुमार भी बिना मानचित्र स्वीकृत किये तीन तल के भवन का निर्माण करा रहे थे।

नोटिस देने के बावजूद भी भवन का निर्माण कार्य नहीं बंद किया। मौके पर आज अभियंता पहुंचकर भवन सील कर दिया गया। इसी प्रकार सोनारपुरा वार्ड-भेलूपुर में भवन संख्या बी-१५/४०-ए-१ में भवन स्वामी अनवर बिना मानचित्र के चार तल का भवन निर्माण करा रहे थे। जबकि इन्हें भी नोटिस भेजी गयी थीं लेकिन इन्होंने निर्माण कार्य जारी रखा।

मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता राकेश सिंह और सोनू कुमार निकटम थाने की पुलिस, प्रवर्तन दल ने निर्माण कार्य कर रहे कारीगरों को भगा दिया और भवन को सिल कर दिया। इसी प्रकार जोन-५ में वार्ड मुगसराय मौजा-गोधना, जिला चंदौली में आठ बीघा जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी।

मौके पर जोनल अधिकाीर श्री प्रकाश, वर अभियंता पीएन दूबे, अशोक यादव, संबंधित थाने की पुलिस, सुपरवाइजर के अलावा प्रवर्तन दल के कर्मचारियों ने जेसीबी के माध्यम से प्लाटिंग के लिए हुए निर्माण कार्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।

इसी क्रम में मुगलसराय के थाना अलीनगर में बिना मानचित्र के भवन का निर्माण कर रहे भवन स्वामी संजय को अभियंताओं ने अनुमति मांगी।

जिसे उन्होंने दिखाने से इनकार कर दिया। जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश, अवर अभियंता पीएन दूबे, अशोक यादव ने पुलिस की देखरेख में भवन को सील कर दिया। जोनल अधिकारी के निर्देश पर अवर अभियंता ने भवन को थाना अलीनगर के अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि0 22.12.2024

अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड- मुगलसराय, थाना- अलीनगर के अन्तर्गत अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा मौजा-गोधना, जिला-चंदौली में लगभग 8 बीघा में अवैध प्लाटिंग किये जा रहे थे, अवैध प्लाटिंग को आज 21 .12 .2024 को जोनल अधिकारी श्री प्रकाश के नेतृत्त्व में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, अवर अभियंता पी0एन0 दूबे व अशोक कुमार यादव प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

न्यायाधीश—दि0 22.12.2024

वीडीए जोन -5 की टीम ने की अवैध निर्माण को सील

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत 21.12.2024 वार्ड- मुगलसराय, थाना- अलीनगर के अन्तर्गत संजय द्वारा मौजा - रेमा मोड़ नहर के बगल में (मनोहरपुर), में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बिना पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना -अलीनगर की सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया ।इस मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश अवर अभियंता पी0ए0 दूबे व अशोक कुमार यादव मौजूद रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 22.12.2024

वीडीए जोन -4 की प्रवर्तन टीम द्वारा की गई सील बन्दी व नोटिस की कार्यवाही

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में 21 दिसम्बर को वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इस क्रम में शिवशंकर पाण्डेय द्वारा औढ़े, बच्छाव, वार्ड-नगवॉं, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 4800 वर्गमफीट के क्षेत्रफल में भूतल का निर्माण कार्य किये जाने पर अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(द) व 28(घ्द) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी। वर्तमान में पक्ष द्वारा नोटिस के बावजूद भी लगभग 4800 वर्गमफीट के क्षेत्रफल में भूतल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।इसी क्रम में सुरेन्द्र कुमार द्वारा सहाबाबाद, पंडितपुर, वार्ड-नगवॉं, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 2000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी़3 तल का निर्माण कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(द) व 28(घ्द) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी। वर्तमान में पक्ष द्वारा नोटिस के बावजूद भी लगभग 2000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी़3 तल का निर्माण कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग आदि का कार्य किया जा रहा है। उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।इसके अलावा अनवर द्वारा भवन सख्या सं0-बी-15/40-ए -1 के बगल में सोनारपुरा, वार्ड-भेलूपुर,थाना -भेलूपुर जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 2050 वर्गफीट के क्षेत्रफल में बी़जी़4 तल का निर्माण कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(द) व 28(घ्द) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी। वर्तमान में पक्ष द्वारा नोटिस के बावजूद भी लगभग 2050 वर्गफीट के क्षेत्रफल में बी़जी़4 तल का निर्माण कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग आदि का कार्य किया जा रहा है। उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौप दिया गया।इस मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता राकेश सिंह व सोनू कुमार, मौजूद रहे।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी

राष्ट्रीय सहारा–दि0 22.12.2024

वीडीए ने अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोन-पांच की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। मुगलसराय वार्ड के थाना-अलीनगर के अंतर्गत अज्ञात प्लाटिंगकर्ता की तरफ से मौजा-गोधना, जिला-चंदौली में लगभग आठ बीघा में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। अवैध प्लाटिंग को जोनल अधिकारी के नेतृत्त्व में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।